



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265477
CG-DL-E-18082025-265477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947

No. 511]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

आय-कर

सा.का.नि. 555(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 के खंड (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (बाइसवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में नियम 3ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3ग. अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iii) की मद (ग) के प्रयोजनों के लिए वेतन आय-अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iii) की मद (ग) के प्रयोजनों के लिए “वेतन” शीर्ष के अधीन विहित आय चार लाख रूपए होगी।

3घ. अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के परंतुक के खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए सकल कुल आय-
अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के परंतुक के खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए विहित सकल कुल आय आठ लाख रूपए
होंगी।”।

[अधिसूचना सं. 133/2025/फा. सं. 370142/27/2025-टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्याक का.आ. 969(अ),
तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 553(अ),
तारीख 14 अगस्त, 2025 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2025.

INCOME-TAX

G.S.R. 555(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of section 17 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: —

1. (1) These rules may be called the Income tax (Twenty Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 3B, the following rules shall be inserted, namely: —

“3C. Salary income for the purposes of item (c) of sub-clause (iii) of clause (2) of section 17 of the Act. —

For the purposes of item (c) of sub-clause (iii) of clause (2) of section 17 of the Act, the prescribed income under the head "Salaries" shall be four lakh rupees.

3D. Gross total income for the purposes of clause (vi) of Proviso to clause (2) of section 17 of the Act. —

For the purposes of clause (vi) of Proviso to clause (2) of section 17 of the Act, the prescribed gross total income shall be eight lakh rupees.”.

[Notification No. 133/2025/F. No. 370142/27/2025-TPL]

KRITIKA JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 553(E), dated the 14th August, 2025.

